on Agricultural Labour on 31-5-1975 and by the Labour Minister's Conference on 19-7-1975, is going to be enacted; and

(b) the reasons for delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI): (a) and (b): Opinion among the State Government/Union territories who were consulted in the matter following discussions at the State Labour Ministers Conference in July, 1975, is divided on the question of Central Legislation on the pattern of the Kerala Agricultural Workers' Act. The problem of labour in the unorganised sector and the question whether there should be Central legislation on the pattern of the Kerala Agricultural Workers Act were discussed at the recent Tripartite Labour Conference held at New Delhi on May 6 7 1977. The general consensus at the Conference was that, having regard to the various complex issues involved a Special Conference should be convened to consider the problems relating to rural workers. It is proposed to settle details concerning the proposed Special Conference in the light of the suggestions received from the State Governments/Union Territories Administrations, etc. and take further action in the matter in the light of the recommendations of the Special Conference, in this regard.

Cancellation of Drug Manufacturing Licences

2268 SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the details of 69 manufacturing licences which were cancelled or suspended as a result of 738 drug manufacturing firms inspected during April-November, 1976; and

(b) the names and other details of firms who were required to rectify the deficiencies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YAVAV): (a) and (b): The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Declaration of Private Hospitals as Industry

2269. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to declare private hospitals employing more than 100 people as industry; and

(b) if so, the details thereof and when the proposal is expected to be implemented?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b): The entire question is under examination in the light of the views contained in the Report of the Tripartite Committee on Comprehensive Industrial Relations Law and Composition of the Indian Labour Conference. A Bill would be introduced in the Lok Sabha after a decision is taken by the Government on this as well as other connected matters.

भविष्य निधि संगठन में अनुसूचित जातियों के निरीक्षक तथा सहायक आयुक्त

2270. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आरक्षण संबंधी आदेशों के अनुसरण मे भविष्य निधि संगठन मे कार्यरत अनुसूचित जातियों से संबंधित निरीक्षकों तथा सहायक आयुक्तों को दिए गए पदोन्नतियों , स्थायित्व और वरिष्ठता सूची में उन्हें सबसे ऊपर स्थान के लाभों का पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस उद्देश्य के लिए गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई चयन-सूची क्या रोस्टर के अनुसार गत पांच वर्षों में मध्य प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दिल्ली क्षेत्र में स्थायी किए गए, पदोन्नत किए गए तथा वरिष्ठता सूची में सब से ऊपर रखे गए निरीक्षकों की संख्या कितनी है; और

(ग) विभाग द्वारा पदोन्नति देकर भरे जाने वाले पदो में अनुसूचित जातियो से संबंधित निरीक्षकों तथा सहायक आयुक्तों के कुल कितने पद आरक्षित हैं और इन के कब तक भरे जाने की संभावना है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम धुलारी सिंह) :

(क) से (ग): भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है:—

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो एक सांविधिक निकाय है, सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियो के लिए आरक्षण संबंधी पुस्तिका के अध्याय 18 के परा 71 में मांविष्ट उपबंध के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं में आरक्षण के मुताबिक अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियो तथा जन-जातियो के ल ए पद आरक्षित करता है और इन जातियो को तदनुसार रियायतें तथा छूटें देता है। संबंधित पैराग्राफ से ले लिया गया एक उद्धरण (विवरण–I) सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल.टी–1225/77]

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मे भविष्य निधि निरीक्षको के दो ग्रेड है, अर्थात् भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड–1) (650—1200 रु०) और भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड–2) (455—700 रु०) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमे दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालयो में पूर्वोक्त दो ग्रेडों के एक ऐसे अधिकारियो की संख्या दी गई है, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के है। (विवरण –2)। [ग्रन्थालय में रखी गया। देखिये संख्या एल.टी. 1225/77]

(ग) हिसाब लगाया गया है कि भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड–1) के ऐसे पदों की कुल संख्या 24 है जिन्हें विभागीय पदोन्नतियां देकर भरने का विचार है। इन में कुछ प्रत्याशित रिक्त स्थान भी शामिल है। इन 24 रिक्त स्थानों में से चार रिक्त स्थान अनुसूचित जातियों तथा दो स्थान जन-जातियो के लिए आरक्षित हैं। जहां तक सहायक भविष्य निधि आयुक्तो का संबंध है, इस संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयो मे केवल सहायक भविष्य आयुक्त (ग्रेड–1) (700–1300 रु०) हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि इस संवर्ग के 18 रिक्त स्थान विभागीय पदोन्नतियो द्वारा भरे जाने है जिन मे से तीन रिक्त स्थान अनुसूचित जातियो के लिए तथा दो अनुसूचित जन-जातियो के व्यक्तियो के लिए सुरक्षित है। इस संबंध में प्रस्तावो को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे

2671. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान दिल्ली से छपने वाले 26 अक्तूबर, 1977 के "हिन्दुस्तान टाईम्स" मे प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि बम्बई के जी० टी० अस्पताल के डा० एस० एन०लोही तथा एस०डी कोल्टे ने अपने एक लेख मे कहा है कि कुष्ठ, रोगियों की बस्ती मे 250 में से 100 बच्चे कुष्ठ रोग से पीड़ित पाये गये, और